

**भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग**

**लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2501
10 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए**

देश में मत्स्यपालन क्षेत्र का विकास

2501. श्री राजीव प्रताप रूडी :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विशेष रूप से बिहार राज्य में मत्स्यपालन के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या अंतर्देशीय जलमार्गों और संसाधनों पर मछुआरों की आजीविका का आकलन करते हुए बिहार सहित देश भर में जिला-वार आर्द्रभूमि, झीलों आदि सहित राष्ट्रीय एवं राज्य जलमार्गों की पहचान कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा मछुआरों को विभिन्न योजनाओं एवं अनुदानों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

उत्तर

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)**

(क): देश में विभिन्न प्रकार के मात्स्यिकी और जलीय कृषि संसाधन उपलब्ध हैं, जिनमें जलाशय-31.50 लाख हेक्टेयर, बाढ़ के मैदानी आर्द्रभूमि-5.64 लाख हेक्टेयर, तालाब और टैंक-24.10 लाख हेक्टेयर, खारे पानी-12.40 लाख हेक्टेयर, खारे/क्षारीय प्रभावित क्षेत्र-2.47 लाख हेक्टेयर, नदियाँ और नहरें-1.95 लाख किलोमीटर, समुद्र तट-8118 किलोमीटर शामिल हैं, जिनमें 22.31 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन की अनुमानित क्षमता है। बिहार सरकार ने बताया है कि राज्य में मात्स्यिकी विकास के लिए उपयुक्त विशाल और विविध जल संसाधन हैं, जिनमें तालाब-112296 हेक्टेयर, ऑक्सबो झील-9000 हेक्टेयर, आर्द्रभूमि-2.40 लाख हेक्टेयर, जलाशय-64470 हेक्टेयर और नदियाँ-3200 किलोमीटर शामिल हैं, जिनमें 12.70 लाख टन मत्स्य उत्पादन की अनुमानित क्षमता है।

(ख): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्देशीय जलमार्गों की पहचान केवल शिपिंग और नैविगेशन उद्देश्यों के लिए की गई है।

(ग): मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास की संभावनाओं को देखते हुए, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार बिहार सहित देश में मात्स्यिकी के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है। लागू की गई योजनाओं में शामिल हैं: (i) नीली क्रांति पर केंद्र प्रायोजित योजना: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन, जिसे 2015-16 से 2019-20 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3000 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय परिव्यय पर लागू किया गया था, (ii) रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 2018-19 से 2023-24 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 7522.48 करोड़ रुपये के कुल फंड के साथ फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर डवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ), (iii) मछुआरों और मत्स्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करना और (iv) 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)।

बिहार में मात्स्यिकी और जलीय कृषि के विकास के लिए, विगत चार वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 158.82 करोड़ रु के केंद्रीय अंश सहित कुल 522.41 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, बिहार के मछुआरों और मत्स्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए कुल 1290 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मंजूर किए गए हैं।